[2022] 10 एस. सी. आर 1135

क.

भारत संघ और अन्य बनाम

मुन्शी रैम

(सिविल अपील सं. 2022 का 2811) 31 अक्टूबर, 2022

[एम**.** आर**.** शाह और बी**.** वी**.** नागरत्ना**,** जे**.** जे**.]**

भारत का संविधानःकलाएँ।14 और 16-नियमितीकरण-समानता-तत्काल मामले में, उत्तर रेलवे द्वारा विभागीय खान-पान और विक्रय सेवाएं शुरू की गईं, जिसके लिए निजी ठेकेदारों के कर्मचारियों को कमीशन विक्रेता के रूप में लिया गया-कमीशन विक्रेताओं को नियमित वेतन का भुगतान करने के बजाय उनके द्वारा प्राप्त बिक्री कारोबार पर कमीशन का भुगतान किया गया-इसके बाद, रेलवे बोर्ड द्वारा जारी ज्ञापन के अनुसार, कमीशन विक्रेताओं/धारकों को नियमित रिक्तियों में अवशोषित कर लिया गया-कमीशन विक्रेताओं द्वारा पेंशन/सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने का दावा-आयोजित किया गयाःपश्चिमी रेलवे, पूर्वी रेलवे, दक्षिणी रेलवे और दक्षिण-पूर्वी रेलवे में काम करने वाले कमीशन विक्रेताओं/धारकों को उनके नियमितीकरण से पहले प्रदान की गई सेवाओं का 50 प्रतिशत पेंशन लाभों के लिए गिना जाने का हकदार माना गया था-चूंकि रेलवे में विभिन्न प्रभागों/क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारी एक ही नियोक्ता के तहत हैं, यानी रेलवे बोर्ड जो रेल मंत्रालय के तहत है, इसलिए, एक ही नियोक्ता के तहत काम करने वाले कर्मचारियों के साथ समान और समान व्यवहार किया जाना आवश्यक है और वे समान लाभों के हकदार हैं और समान व्यवहार के हकदार हैं-विभिन्न क्षेत्रों/प्रभागों में काम करने वाले समान रूप से स्थित कर्मचारियों के संबंध में अलग-अलग मानदंड/मापदंड नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक ही नियोक्ता के तहत काम करना और समान लाभों से इनकार करना भेदभाव और कला का उल्लंघन होगा।14 और संविधान की धारा 16-उत्तर रेलवे में काम करने वाले आयोग विक्रेताओं/वाहकों को समान लाभ से वंचित करने का कोई कारण नहीं है-सेवा कानून।

ग

डी.

ई.

च

जी.

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः**1.** यह देखा जा सकता है कि पश्चिमी रेलवे**,** पूर्वी रेलवे**,** दक्षिणी रेलवे और दक्षिण**-**पूर्वी रेलवे में काम करने वाले कमीशन विक्रेताओं**/**वाहकों के संबंध में**,** उन्हें अपने ए से पहले प्रदान की जाने वाली सेवाओं के **50** प्रतिशत का हकदार माना जाता है।

एच.

नियमितकरण को पेंशन लाभों के लिए गिना जाएगा और उन सभी आयोग विक्रेताओं**/**धारकों को ऐसे लाभ प्रदान किए जाते हैं। **[**पैरा **6] [1160-**जी**-**एच**]**

2. इस बात में कोई संदेह नहीं है कि रेलवे में विभिन्न प्रभागों/क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारी एक ही नियोक्ता-रेलवे बोर्ड के अधीन हैं जो रेल मंत्रालय के अधीन है।रेलवे में **16** जोन और **68** डिवीजन हैं।इसलिए, एक ही नियोक्ता-विभिन्न क्षेत्रों/प्रभागों में काम करने वाले रेलवे बोर्ड के तहत काम करने वाले कर्मचारियों के साथ समान और समान व्यवहार किया जाना आवश्यक है और वे समान लाभों के हकदार हैं और समान व्यवहार के हकदार हैं।आपस में कोई भेदभाव नहीं हो सकता।इन परिस्थितियों में, समानता के आधार पर, उत्तर रेलवे में काम करने वाले आयोग विक्रेता/वाहक समान लाभों के हकदार हैं जो विभिन्न क्षेत्रों/प्रभागों के तहत काम करने वाले सभी समान रूप से स्थित आयोग विक्रेताओं/धारकों के हकदार हैं।समान रूप से स्थित कर्मचारियों के संबंध में अलग-अलग मानदंड/मापदंड नहीं हो सकते हैं-विभिन्न क्षेत्रों/प्रभागों में काम करने वाले आयोग विक्रेता/वाहक, लेकिन एक ही नियोक्ता के तहत काम कर रहे हैं।समान लाभों से इनकार करना भेदभाव के समान होगा और भारत के संविधान के अनुच्छेद **14** और **16** का उल्लंघन होगा।**[**पारस **7,8] [1161-**ए-डी, ई**]**

ग

डी.

ई.

3. एक बार जब यह पाया जाता है कि उत्तर रेलवे में काम करने वाले उत्तरदाता-आयोग विक्रेता/वाहक भी समान लाभों के हकदार हैं जो विभिन्न क्षेत्रों/प्रभागों में काम करने वाले समान रूप से स्थित आयोग विक्रेताओं/धारकों को दिए जाते हैं और चूंकि उन्हें पहले से ही उनके नियमितीकरण से पहले प्रदान की गई उनकी सेवाओं के **50** प्रतिशत लाभ की गणना करके पेंशन लाभ का भुगतान किया जा रहा है, तो उत्तर रेलवे में काम करने वाले आयोग विक्रेताओं/धारकों को समान लाभों से इनकार करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि वे समान रूप से स्थित हैं।**[**पैरा **9] [1161-**एफ-एच**]**

च

सैतल सिंह बनाम भारत संघ रिट याचिका **(**सी**)** सं। **1982** का **6804-05;** टी**.** एल**.** माधवन**,** महासचिव**,** ए**.** आई**.** आर**.** सी**.** एस**.** श्रमिक संघ बनाम भारत संघ **1988** सप एस**.** सी**.** सी**. 437;** गुरदास राम और अन्य बनाम भारत संघ लेखन

जी.

याचिका (सिविल) सं. 5175/1998; भारत संघ बनाम राकेश कुमार (2017) 13 एस. सी. सी. 388:[2017] 3 एससीआर

783; हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड बनाम गुलशन लाल ए**.**

एच.

1137

भारत संघ और अन्य बनाम मुन्शी राम ए

(2009) 12 एस. सी. सी. 238:[2009] 8 एससीआर 950; उत्तर प्रदेश

पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनामअयोध्या प्रसाद मिश्रा

(2008) 10 एससीसी 139:[2008] 13 एस. सी. आर. 373; संघ

भारत बनाम मुरलीधारा मेनन **(2009) 9** एस**.** सी**.** सी**. 304:[2009] 12** एससीआर **540;** भारत संघ बनाम एम**.** वी**.** मोहनन नायर

(2020) 5 एससीसी 421:[2020] 7 एस. सी. आर. 851; ओडिशा राज्य

बनाम अनूप कुमार सेनापति (2019) 19 एस. सी. सी. 626; गुरदास राम और अन्य बनाम यू. ओ. आई. और अन्य डब्ल्यू. पी. (C) का No.5175

1998 & 2010 का सीएम No.14513; वामन राव और ओआरएस. वी.भारत संघ और ओआरएस। (1981) 2 एससीसी 362:[1981] 2

एससीआर **1;** नरिंदर सिंह और ओआरएस**.** वी**.**पंजाब राज्य

और एन. आर. (2014) 6 एससीसी 466:[2014] 4 एससीआर 1012; सभी

ग

भारत न्यायाधीश संघ और अन्य बनामभारत संघ

और ओआरएस। (1993) 4 एससीसी 288:[1993] 1 पूरक।एससीआर

749; अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ और

अन्य (2008) 6 एस. सी. सी. 1:[2008] 4 एससीआर 1; जी. सी. घोष

और ओआरएस**.** वी**.**भारत संघ और ओआरएस। **1991** सप **(2)**

डी.

एस**.** सी**.** सी**. 497-**संदर्भित।

निर्णीत विधि संदर्भ

1988 पूरक एस**.** सी**.** सी**. 437**

संदर्भित किया गया है

पैरा **2**

[2017] 3 एससीआर **783**

संदर्भित किया गया है

पैरा **3.8**

ई.

[2009] 8 एससीआर **950**

संदर्भित किया गया है

पैरा **3,14**

[2008] 13 एससीआर **373**

संदर्भित किया गया है

पैरा **3,14**

[2009] 12 एससीआर **540**

संदर्भित किया गया है

पैरा **3,14**

[2020] 7 एससीआर **851**

संदर्भित किया गया है

पैरा **3.15**

च

(2019) 19 एस**.** सी**.** सी**. 626**

संदर्भित किया गया है

पैरा **3.116**

[1981] 2 एससीआर **1**

संदर्भित किया गया है

पैरा **4.15**

[2014] 4 एससीआर **1012**

संदर्भित किया गया है

पैरा **4.15**

[1993] 1 पूरक।पैरा **4.17 [2008] 4** एस**.** सी**.** आर**. 1** में निर्दिष्ट एस**.** सी**.** आर**. 749**

जी.

संदर्भित किया गया है

पैरा **4,18**

1991 सपं**. (2)** पैरा **4,19** में निर्दिष्ट एस**.** सी**.** सी**. 497**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार:सिविल अपील No.2811

2022.

एच.

1138

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 10 एस सी आर।

2019 के डब्ल्यूपी (सी) No.4535 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 21.11.2019 के निर्णय और आदेश से।

सह

2022 की सिविल अपील Nos.2812,2813,2814-2815।

सुश्री माधवी दीवान, ए. एस. जी., राजन कुमार चौरसिया, सुश्री वैशाली वर्मा, बी. के. सतीजा, अनुकल्प जैन, अमरीश कुमार, राज बहादुर यादव, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।

संजय पारिख, वरिष्ठ अधिवक्ता, पुखरंबन रमेश कुमार, सातविक पारिख, करुण शर्मा, यू. श्रीवास्तव, एम. के. गौर, अनूप चौहान, सौरभ शर्मा, सुश्री नीलेमा, रणबीर सिंह यादव, कसोजू महेश चारी, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

ग

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम**.** आर**.** शाह**,** जे**.**

1. नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा लिखित याचिका (सिविल) संख्या (आईडी2) और अन्य संबद्ध रिट याचिकाओं में पारित किए गए विवादित सामान्य निर्णय और दिनांक (आईडी1) के आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने संबंधित निजी उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत उक्त रिट याचिकाओं को अनुमति दी है और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों को दरकिनार कर दिया है और उसके बाद अपीलकर्ताओं-उत्तर रेलवे को आयोग विक्रेताओं के रूप में अपनी सेवा का 50 प्रतिशत, उनके अवशोषण से पहले, पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए "योग्यता सेवा" के रूप में गिनने का निर्देश दिया है, भारत संघ (उत्तर रेलवे) और अन्य ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

डी.

ई.

2. 1955 से पहले उत्तर रेलवे में खानपान सेवा का प्रबंधन निजी ठेकेदारों के माध्यम से किया जा रहा था।इसके बाद, विभागीय खान-पान और विक्रय सेवाएं शुरू की गईं और निजी ठेकेदारों के पूर्व कर्मचारियों को कमीशन विक्रेताओं के रूप में लिया गया।सभी कमीशन विक्रेताओं को नियमित वेतन देने के बजाय उनके द्वारा हासिल की गई बिक्री पर कमीशन का भुगतान किया जाता था।इसके बाद, रेलवे बोर्ड द्वारा 13.12.1976 दिनांकित एक ज्ञापन जारी किया गया जिसमें सुझाव दिया गया कि आयोग के विक्रेताओं को रेलवे कर्मचारियों के रूप में शामिल किया जा सकता है।इसमें कहा गया था कि नियमित रिक्तियों में आयोग के विक्रेताओं/धारकों को उत्तरोत्तर शामिल करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

च

जी.

2.1 रेलवे में कमीशन विक्रेताओं के विलय के मुद्दे पर कई मुकदमे हुए हैं।13.12.1983 पर, यह न्यायालय ए

एच.

1139

भारत संघ और अन्य बनाम मुन्शी राम [एम. आर. शाह, जे.] ए.

रिट याचिका **(**सिविल**)** सं**. 6804-05/1982 (**सैताल सिंह बनाम भारत संघ**)** का निपटारा किया गया जिसमें दिनांकित **13.12.1976** ज्ञापन के पैरा **3** की अवधि में आयोग धारकों/विक्रेताओं के प्रगतिशील अवशोषण के लिए एक निर्देश जारी किया गया था।इसके बाद**, 1986** की रिट याचिका संख्या **31364** में आपराधिक विविध याचिका संख्या **1670/1987** में पारित एक आदेश और टी**.** एल**.** माधवन के मामले में अन्य संबद्ध रिट याचिकाओं में**,**

महासचिव**,** ए**.** आई**.** आर**.** सी**.** एस**.** श्रमिक संघ बनाम भारत संघ**,** ने **1988** में एस**.** सी**.** सी**. 437** के समर्थन में एक और निर्देश जारी किया था।

मध्य रेलवे और दक्षिण-मध्य रेलवे से संबंधित विभिन्न रेलवे प्लेटफार्मों पर आयोग धारकों/विक्रेताओं के रूप में काम करने वाले सभी व्यक्तियों के प्रगतिशील अवशोषण के संबंध में एक ही ज्ञापन दिनांक 13.12.1976 के संदर्भ में "जब और जब रेलवे खानपान सेवा में धारकों के पदों पर रिक्तियां होती हैं"।यह भी दोहराया गया कि जैसा कि पहले ही निर्देश दिया गया है कि रेलवे पहले उपरोक्त ज्ञापन के अनुसार पंजीकृत सभी वाहकों को शामिल करेगा और उसके बाद पंजीकृत विक्रेताओं को शामिल करेगा और जब तक कि सभी वाहकों और विक्रेताओं को तदनुसार शामिल नहीं किया जाता है, तब तक रेलवे प्रशासन किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य स्रोत से रेलवे खानपान सेवा में स्थायी आधार पर वाहक या विक्रेता के रूप में भर्ती या नियुक्त नहीं करेगा।

ग

डी.

2.2 लिखित याचिका (सिविल) में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश

नं. 5175/1998 (गुरदास राम और अन्य बनाम भारत संघ) सौदा कर रहे थे।

आयोग विक्रेताओं द्वारा रिट याचिकाओं के एक समूह के साथ, जिन्होंने नियमितीकरण की राहत की मांग की, और वैकल्पिक रूप से, समूह 'सी' पदों में अवशोषण।दिनांक 5.11.2012 के निर्णय और आदेश द्वारा, विद्वान एकल न्यायाधीश ने नियमितीकरण की याचिका को अस्वीकार कर दिया, हालांकि, दूसरी राहत, अर्थात।, खाली समूह 'सी' पदों के खिलाफ अवशोषण की अनुमति दी गई थी, बशर्ते कि उनकी आयु 59 वर्ष से अधिक न हो।संबंधित मूल रिट याचिकाकर्ताओं-यहाँ सभी उत्तरदाताओं को 2015 में समूह 'सी' पदों में विद्वान एकल न्यायाधीश के उपरोक्त आदेश के अनुसार शामिल किया गया था।

ई.

च

2.3 इसके बाद उन्होंने ओ. ए. नंबर <आई. डी. 1 के साथ केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया और पेंशन/सेवानिवृत्ति लाभों के अनुदान की आगे परिणामी राहत के लिए प्रार्थना की।कैट के समक्ष यह उनका मामला था कि रेलवे में शामिल होने से पहले प्रदान की गई प्रत्येक आवेदक की कुल सेवा को ऐसे सेवानिवृत्ति/पेंशन लाभों के उद्देश्य से "योग्यता सेवा" के रूप में गिना जाना चाहिए।दिनांक 12.02.2016 के निर्णय और आदेश द्वारा, कैट ने उक्त ओ. ए. को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि चूंकि विद्वान एकल न्यायाधीश के पहले के फैसले ने नियमितीकरण की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया था, इसलिए गणना के लिए याचिका पर विचार करना संभव नहीं था।

जी.

एच.

अवशोषण आदेशों पर सवाल उठाए बिना पिछली सेवा, यहां तक कि पेंशन लाभों के लिए भी।

2.4 हालाँकि, इसके बाद ओ. ए. सं. 4079/2016 में न्यायाधिकरण की एक अन्य पीठ ने ओ. ए. सं. <आई. डी. 3 में दिनांक 4.6.2014 के कैट की एर्नाकुलम पीठ के निर्णय और उसी पीठ के एक अन्य निर्णय, जहां समान रूप से स्थित आवेदकों को पेंशन लाभों की राहत दी गई थी, का पालन करने के बाद, ओ. ए. सं. 4079/2016 में मुंशी राम (सिविल अपील सं. 2811/2022 में प्रतिवादी) द्वारा दायर एक अन्य पीठ ने उक्त ओ. ए. 4079/2016 को अनुमति दी।ओ. ए. को खारिज करते हुए कैट द्वारा पारित निर्णय और आदेश और आयोग विक्रेताओं को कोई भी पेंशन लाभ देने से इनकार करते हुए, जिन्हें बाद में आयोग विक्रेताओं के रूप में प्रदान की गई अपनी पिछली सेवा के रूप में अवशोषित कर लिया गया था, मूल आवेदकों ने उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान रिट याचिका संख्या 12073/2016 और रिट याचिका संख्या 3307/2017 दायर की।2.5 आयोग विक्रेताओं के रूप में प्रदान की गई उनकी सेवा को गिनते हुए ओ. ए. सं. 4079/2016 में पारित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, भारत संघ ने उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान रिट याचिका सं.

4535/2019 को प्राथमिकता दी।उपरोक्त सभी तीन रिट याचिकाओं पर उच्च न्यायालय द्वारा एक साथ सुनवाई की गई। विवादित सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने मूल रिट याचिकाओं-आयोग विक्रेताओं द्वारा प्रस्तुत रिट याचिकाओं को अनुमति दी है, जिन्हें बाद में अवशोषित कर लिया गया था और उन्होंने उत्तर रेलवे द्वारा इस आधार पर दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया है कि जहां तक अन्य रेलवे, अर्थात् दक्षिण रेलवे और मध्य रेलवे में विभिन्न उच्च न्यायालयों/न्यायाधिकरणों द्वारा पारित विभिन्न आदेशों के अनुसार, आयोग विक्रेताओं के रूप में प्रदान की गई उनकी पिछली सेवा को पेंशन लाभ के उद्देश्य से गिना गया है, उत्तर रेलवे में आयोग विक्रेताओं/धारकों को ऐसी राहत देने से इनकार करने का कोई कारण नहीं है।

ग

डी.

ई.

च

2.6 उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित सामान्य निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसमें कहा गया है कि उत्तर रेलवे में आयोग विक्रेताओं/वाहकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को उनके विलय से पहले, पेंशन लाभों के उद्देश्यों के लिए गिना जाना चाहिए, भारत संघ (उत्तर रेलवे) ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

जी.

3. याचिकाकर्ताओं-उत्तर रेलवे और श्री संजय ए. की ओर से अपर सॉलिसिटर जनरल सुश्री माधवी दीवान पेश हुईं।

एच.

1141

भारत संघ और अन्य बनाम मुन्शी राम [एम. आर. शाह, जे.] ए.

पारिख, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता मूल आवेदकों-निजी उत्तरदाताओं की ओर से पेश हुए हैं।

3.1 सुश्री माधवी दीवान, विद्वान ए. एस. जी. ने प्रस्तुत किया है कि वर्तमान मामले में संक्षिप्त मुद्दा यह है कि क्या नियमित सेवा में शामिल किए गए कमीशन विक्रेता अपने अवशोषण से पहले कमीशन विक्रेताओं के रूप में सेवा की अवधि के 50 प्रतिशत को पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए "योग्यता सेवा" के रूप में मानने के हकदार हैं।दूसरे शब्दों में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि क्या आयोग विक्रेता जिन्हें बाद में अवशोषित किया जाता है, वे नियमित आकस्मिक श्रमिकों के साथ समानता की मांग करने के हकदार हैं, जो भारतीय रेलवे प्रतिष्ठान नियमावली, खंड 2005 के नियम 2005 के आधार पर हैं। रेलवे सेवा (पेंशन) नियम, 1993 (संक्षेप में, '1993 नियम') के नियम 31 के तहत II, 1991 (आई. आर. ई. एम.), पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए योग्यता सेवा की गणना करते समय अपनी सेवा का 50 प्रतिशत आकस्मिक श्रमिकों के रूप में शामिल करने के हकदार हैं।

ग

3.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार आयोग के विक्रेताओं को (i) रेलवे बोर्ड द्वारा जारी ज्ञापन संख्या 76 दिनांक 13.12.1976 के अनुसार भारतीय रेलवे में नियमित सेवा में शामिल कर लिया गया है। और (ii) ऊपर निर्दिष्ट विभिन्न रिट याचिकाकर्ताओं में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश।

डी.

3.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह एक स्वीकृत स्थिति है कि वर्तमान मामले में आयोग के विक्रेताओं ने अवशोषण के बाद और सेवानिवृत्ति से पहले 10 साल की सेवा पूरी नहीं की है, जो पेंशन लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है।प्रस्तुत किया गया

कि वास्तव में अपीलकर्ताओं/याचिकाकर्ताओं में से एक-मुंशी राम के मामले में, उन्होंने 16.07.2015 पर अपने अवशोषण और 31.10.2015 पर सेवानिवृत्ति के बीच लगभग साढ़े तीन महीने की अवधि के लिए ही सेवा की है।

ई.

च

3.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि संबंधित आयोग विक्रेता जो बाद में रेलवे में शामिल हो जाते हैं, वे आकस्मिक श्रमिकों के साथ समानता का दावा कर रहे हैं और तदनुसार दावा कर रहे हैं कि उनके अवशोषण से पहले आयोग विक्रेताओं के रूप में प्रदान की गई उनकी सेवा का 50 प्रतिशत पेंशन लाभ के लिए योग्यता सेवा के लिए गिना जाना है जो आकस्मिक श्रमिकों को प्रदान किया जा रहा है।

जी.

3.5 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए जिस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या कमीशन विक्रेता आकस्मिक श्रमिकों के बराबर अपनी पिछली सेवा के लाभ का दावा कर सकते हैं?यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त को समझने के लिए, कमीशन विक्रेताओं और आकस्मिक श्रमिकों की स्थिति के बीच का अंतर होना आवश्यक है

एच.

विचार किया।कमीशन विक्रेताओं और आकस्मिक श्रमिकों की स्थिति के बीच मौलिक अंतर सुश्री माधवी दीवान द्वारा चार्ट में समझाया गया है जो नीचे दिया गया हैः

3.6 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि आयोग के विक्रेता विशुद्ध रूप से अनुबंध के आधार पर लगे हुए थे।आयोग के विक्रेताओं के साथ किए गए अनौपचारिक संविदात्मक समझौते की प्रासंगिक शर्तें इस प्रकार हैंः

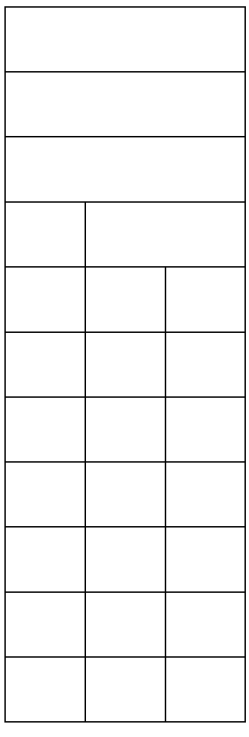

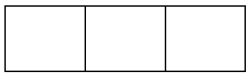

ग

डी.

ई.

च

आई. खंड 1:कमीशन विक्रेता कमीशन के आधार पर काम करेंगे।

[@पेज। 34 अतिरिक्त के लिए आवेदन में।डॉक्स।अर्थात आई. ए. सं. 137388/2021]।

XXX

XXX

XXX

ii.खंड 8:बिना कोई कारण बताए और बिना किसी कारण के एक महीने का नोटिस देकर इस समझौते को निर्धारित करने के लिए किसी भी पक्ष के लिए खुला है।

जी.

कोई भी क्षतिपूर्ति [@Pg। 35 अतिरिक्त के लिए आवेदन में।डॉक्स।अर्थात आई. ए. सं. 137388/2021]।

iii.खंड 9:कमीशन विक्रेता वस्तुओं की बिक्री पर कमीशन के अलावा किसी भी पारिश्रमिक के हकदार नहीं हैं। 35 इंच

एच.

एडिशनल के लिए आवेदन।डॉक्स।अर्थात आई. ए. सं. 137388/2021]।

1143

भारत संघ और अन्य बनाम मुन्शी राम [एम. आर. शाह, जे.] ए.

क.

XXX

XXX

XXX

iv.खंड 13:प्रशासन/रेलवे कमीशन विक्रेताओं द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं की आपूर्ति ट्रेन से यात्रा करने वाली जनता को करेगा।

[@पेज। 35 अतिरिक्त के लिए आवेदन में।डॉक्स।अर्थात आई. ए. सं. 137388/2021]।

XXX

XXX

XXX

v. खंड 16:कमीशन विक्रेताओं को रेलवे नहीं माना जाएगा।

किसी भी उद्देश्य के लिए सेवक [@Pg। 36 अतिरिक्त के लिए आवेदन में।डॉक्स।अर्थात आई. ए. सं. 137388/2021]।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि आयोग विक्रेता और नियोक्ता-उत्तर रेलवे के बीच कोई स्वामी-सेवक संबंध नहीं था।पारिश्रमिक केवल कमीशन के रूप में था और इसके अलावा किसी भी कमीशन विक्रेता को रेलवे सेवक के रूप में नहीं माना जाता था।

ग

3.7 यह प्रस्तुत किया जाता है कि दूसरी ओर, आकस्मिक मजदूर अलग-अलग आधार पर खड़े थे।रेलवे नियमावली (आई. आर. ई. एम.) में एक अलग अध्याय XX में पाए गए आकस्मिक श्रमिकों से संबंधित प्रावधान स्थिति में अंतर को दर्शाते हैं, जो नीचे दिए गए हैंः

डी.

i) नियम 2001 [@page 30 अतिरिक्त के लिए आवेदन में।डॉक्स।अर्थात आई. ए. सं. 137388/2021]:

ई.

2001:(I) आकस्मिक श्रम की परिभाषा-आकस्मिक श्रम को संदर्भित करता है -

श्रम जिनका रोजगार रुक-रुक कर, छिटपुट या कम समय तक चलता है या एक काम से दूसरे काम में जारी रहता है।इस तरह के श्रम को आम तौर पर निकटतम उपलब्ध स्रोत से भर्ती किया जाता है।वे आम तौर पर स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं।स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों पर लागू शर्तें आकस्मिक श्रम पर लागू नहीं होती हैं।रेलवे में आकस्मिक श्रम को आम तौर पर केवल निम्नलिखित प्रकार के मामलों में ही नियोजित किया जाना चाहिए।

च

(क) आकस्मिक श्रम (ओपन लाइन)।- आकस्मिक श्रम मुख्य रूप से मौसमी या छिटपुट प्रकृति के काम में नियमित कर्मचारियों के पूरक के लिए लगाए जाते हैं, जो रेलवे प्रणाली के दिन-प्रतिदिन के काम में उत्पन्न होता है।इसमें सामग्री को उतारने और लोड करने, पटरियों और अन्य संरचनाओं की विशेष मरम्मत और रखरखाव, गर्मियों के महीनों के दौरान यात्रियों को पीने के पानी की आपूर्ति के लिए आवश्यक श्रम शामिल हैं।

जी.

एच.

पटरियों की गश्त, आदि रेलवे प्रणाली के संचालन और रखरखाव में लगे आकस्मिक श्रम को ओपन लाइन आकस्मिक श्रम के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो पैरा (बी) इन्फ्रा में वर्णित परियोजना आकस्मिक श्रम से अलग है।

(ख) आकस्मिक श्रम (परियोजना)-रेलवे परियोजनाओं के निष्पादन के लिए आकस्मिक श्रम भी रेलवे में लगे हुए हैं, जैसे कि नई लाइनें, दोहरीकरण, रूपांतरण, भवन का निर्माण, पटरियों का नवीनीकरण, रूट रिले इंटरलॉकिंग रेलवे विद्युतीकरण, नई इकाइयों की स्थापना आदि। इस तरह से लगे आकस्मिक श्रम को "परियोजना आकस्मिक श्रम" के रूप में संदर्भित किया जाता है।

ओपन लाइन (राजस्व) कार्यों में लगे ऐसे आकस्मिक श्रमिक, जो उसी काम को करना जारी रखते हैं जिसके लिए वे लगे हुए थे या उसी प्रकार के अन्य काम को बिना किसी विराम के 120 दिनों से अधिक समय तक जारी रखते हैं, उन्हें 120 दिनों के निरंतर रोजगार के पूरा होने पर अस्थायी (यानी "अस्थायी दर्जा" दिया जाएगा) माना जाएगा।

ग

डी.

उन परियोजनाओं पर आकस्मिक श्रम जिन्होंने एक ही प्रकार के कार्यों पर 180 दिनों का निरंतर रोजगार दिया है, वे वेतन के न्यूनतम उचित पैमाने के 1/30 वें हिस्से के साथ-साथ महँगाई भत्ते के हकदार हैं।

(ii) परियोजना आकस्मिक श्रम को अस्थायी दर्जा देने का विनियमन रेलवे बोर्ड द्वारा अलग से जारी निर्देशों द्वारा किया जाता है।जहाँ तक संभव हो, नई परियोजनाओं के लिए आवश्यक आकस्मिक श्रमिकों को उन आकस्मिक श्रमिकों में से लिया जाना चाहिए।अतीत में बाहरी लोगों की तुलना में ओपन लाइन/परियोजनाओं पर किसने काम किया है?

ई.

((ii) 120 दिनों से कम अवधि के विशिष्ट कार्यों के लिए मौसमी श्रम को मंजूरी।यदि ऐसे श्रम को एक ही प्रकार के एक काम से दूसरे काम में स्थानांतरित किया जाता है और किसी भी समय ऐसे काम की कुल निरंतर अवधि 120 दिनों की अवधि से अधिक है, तो उन्हें अस्थायी माना जाना चाहिए (यानी 120 दिनों के निरंतर रोजगार की समाप्ति के बाद "अस्थायी दर्जा" दिया जाना चाहिए।

च

जी.

(जोर दिया गया)

ii.नियम 2002 [@page 31 अतिरिक्त के लिए आवेदन में।डॉक्स।अर्थात आई. ए. सं. 137388/2021]:

2002. आकस्मिक के लिए स्वीकार्य अधिकार और विशेषाधिकार

श्रम।— आकस्मिक श्रम किसी भी पात्रता के लिए पात्र नहीं हैं और ए

एच.

1145

भारत संघ और अन्य बनाम मुन्शी राम [एम. आर. शाह, जे.] ए.

विभिन्न अधिनियमों के तहत वैधानिक रूप से स्वीकार्य विशेषाधिकारों के अलावा अन्य विशेषाधिकार, जैसे -न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, श्रमिक मुआवजा अधिनियम, आदि या जो समय-समय पर रेलवे बोर्ड द्वारा विशेष रूप से स्वीकृत किए जाते हैं।

iii.नियम 2005 [@page 32 अतिरिक्त के लिए आवेदन में।डॉक्स।अर्थात आई. ए. सं. 137388/2021]:

XXX

XXX

XXX

2005. आकस्मिक श्रम के लिए स्वीकार्य अधिकार और विशेषाधिकार जिन्हें **120** दिन या **360** दिनों के निरंतर रोजगार **(**जैसा भी मामला हो**)** के पूरा होने के बाद अस्थायी **(**यानी अस्थायी दर्जा दिया गया है**)** माना जाता है।— **(**ए**)** आकस्मिक

ग

अस्थायी माने जाने वाले श्रमिक इस नियमावली के अध्याय 23 में निर्धारित अस्थायी रेलवे कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य अधिकारों और लाभों के हकदार हैं।ऐसे श्रम के लिए स्वीकार्य अधिकारों और विशेषाधिकारों में डी एंड ए नियमों का लाभ भी शामिल है।हालांकि, आवश्यक चयन/जांच के बाद अस्थायी/स्थायी/नियमित संवर्ग में शामिल होने से पहले उनकी सेवा को वरिष्ठता के उद्देश्य से नहीं गिना जाएगा और जांच/चयन के बाद उनकी नियमित नियुक्ति की तारीख अन्य नियमित/अस्थायी कर्मचारियों की तुलना में उनकी वरिष्ठता निर्धारित करेगी।हालाँकि, यह इस प्रावधान के अधीन है कि यदि कुछ व्यक्तिगत कर्मचारियों की वरिष्ठता पहले से ही किसी अन्य तरीके से निर्धारित की गई है, या तो न्यायिक निर्णयों के अनुसरण में या अन्यथा, इस तरह से निर्धारित वरिष्ठता में बदलाव नहीं किया जाएगा।

डी.

ई.

परियोजना आकस्मिक श्रम सहित आकस्मिक श्रम, निरंतर रोजगार के निर्धारित दिनों के पूरा होने पर और नियमित अवशोषण से पहले अस्थायी स्थिति प्राप्त करने के बाद उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा की केवल आधी अवधि को पेंशन लाभ के उद्देश्य से योग्यता सेवा के रूप में गिनने के लिए पात्र होंगे।यह लाभ नियमित रोजगार में उनके अवशोषण के बाद ही स्वीकार्य होगा।ऐसे आकस्मिक श्रमिक, जिन्होंने अस्थायी दर्जा प्राप्त कर लिया है, नियमित सेवा में अवशोषण पर अपने क्रेडिट पर छुट्टी को नए पद पर ले जाने के भी हकदार होंगे।दैनिक मूल्यांकन वाले आकस्मिक श्रमिक इन लाभों के हकदार नहीं होंगे।

च

जी.

(जोर दिया गया)

iv.नियम 2006 [@page 32 अतिरिक्त के लिए आवेदन में।डॉक्स।अर्थात आई. ए. सं. 137388/2021]:

एच.

1146 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 10 एस. सी. आर.

2006. नियमित रिक्तियों में आकस्मिक श्रम का अवशोषण।

— रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार नियमित समूह 'डी' रोजगार में आकस्मिक श्रम के अवशोषण पर विचार किया जा सकता है।हालाँकि, इस तरह का अवशोषण स्वचालित नहीं है, लेकिन अन्य बातों के साथ-साथ, रिक्तियों की उपलब्धता और व्यक्तिगत आकस्मिक श्रम की उपयुक्तता और पात्रता और रेलवे प्रशासन द्वारा तय की गई वरिष्ठता इकाई पद्धति आदि के बारे में नियमों के अधीन है।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए आयोग के विक्रेता अवशोषित आकस्मिक श्रमिकों के बराबर लाभों का दावा नहीं कर सकते हैं।

3.8 यह भी आग्रह किया जाता है कि आकस्मिक श्रमिकों को संघ के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के अनुसार लाभ प्रदान किए जा रहे हैं।

ग

भारत बनाम राकेश कुमार, (2017) 13 एस. सी. सी. 388।उस पर एक

1993 के नियमों के नियम 31 के संबंध में व्याख्या, जो आकस्मिकताओं से भुगतान की गई सेवा की गिनती का प्रावधान करता है, इस न्यायालय ने कहा कि नियम 31 पर नोट के आधार पर अस्थायी दर्जा देने से पहले आकस्मिक श्रमिकों की

अवधि को पेंशन लाभों के लिए 50 प्रतिशत की सीमा तक गिना जाना चाहिए।यह प्रस्तुत किया जाता है कि नियम 31 जो इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए पड़ा, निम्नानुसार हैः

डी.

31. आकस्मिकताओं से भुगतान की गई सेवा की गिनती।—इस संबंध में

22 अगस्त, 1968 को या उसके बाद सेवा में कार्यरत किसी रेल कर्मचारी की आकस्मिकताओं से भुगतान की गई सेवा का आधा हिस्सा नियमित रोजगार में अवशोषण पर पेंशन लाभों की गणना के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रखा जाएगा, अर्थात् -

ई.

(क) आकस्मिकताओं से भुगतान की जाने वाली सेवा पूर्णकालिक रोजगार वाली नौकरी में रही है;

(ख) आकस्मिकताओं से भुगतान की जाने वाली सेवा उस प्रकार के काम या नौकरी में होनी चाहिए जिसके लिए नियमित पदों को मंजूरी दी जा सकती थी जैसे कि माली, चौकीदार और खलासी के पद।

च

(ग) सेवा ऐसी होनी चाहिए जिसके लिए भुगतान या तो मासिक दर के आधार पर किया गया हो या दैनिक दरों पर गणना की गई हो और मासिक आधार पर भुगतान किया गया हो और जो, हालांकि वेतन के नियमित पैमाने के अनुरूप नहीं है, लेकिन वेतन के मामले में कुछ संबंध रखता है जिन्हें नियमित प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों द्वारा प्रासंगिक अवधि में किए जा रहे समान कार्यों के लिए भुगतान किया जा रहा है।

जी.

(घ) आकस्मिकताओं से भुगतान की जाने वाली सेवा निरंतर रही है और उसके बाद बिना किसी विराम के नियमित रोजगार में अवशोषित किया गया हैः

एच.

1147

भारत संघ और अन्य बनाम मुन्शी राम [एम. आर. शाह, जे.] ए.

क.

बशर्ते कि आकस्मिकताओं से भुगतान की गई पिछली सेवा के लिए वेटेज 1-1-1961 के बाद की अवधि तक सीमित होगा, बशर्ते कि सेवा के प्रामाणिक रिकॉर्ड जैसे वेतन बिल, छुट्टी रिकॉर्ड या सेवा पुस्तिका उपलब्ध हो।

नोट करें।—(1) इस नियम के प्रावधान आकस्मिकताओं से भुगतान किए गए आकस्मिक श्रम पर भी लागू होंगे।

(2) "नियमित रोजगार में अवशोषण" अभिव्यक्ति का अर्थ है एक नियमित पद के खिलाफ अवशोषण।"

यह प्रस्तुत किया जाता है कि जहां तक आयोग के विक्रेताओं का संबंध है, 1993 के नियमों का नियम 31 बिल्कुल भी लागू नहीं होगा।3.9 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि जहां तक आयोग के विक्रेताओं का संबंध है, कोई अनुरूप नियम नहीं हैं और इसलिए, 1993 के नियमों का नियम 31 जो राकेश कुमार के मामले (उपरोक्त) में निर्णय का आधार बना, आयोग के विक्रेताओं पर लागू नहीं किया जा सकता है जो पूरी तरह से अलग स्थिति पर कब्जा करते हैं।

ग

डी.

3.10 यह प्रस्तुत किया जाता है कि 1993 के नियमों के नियम 14 में वह अवधि प्रदान की गई है जिसे पेंशन लाभों के लिए सेवा के रूप में नहीं माना जाएगा।यह प्रस्तुत किया जाता है कि 1993 के नियमों के नियम 14 (v) के अनुसार, एक वाचा या अनुबंध के तहत अवधि जो विशेष रूप से पेंशन लाभों के अनुदान और/या अनुबंध के आधार पर अवधि के लिए प्रदान नहीं करती है, सिवाय इसके कि पुष्टि के बाद पेंशन लाभ के लिए नहीं गिना जाता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि संबंधित आयोग विक्रेता अनुबंध के तहत सेवा प्रदान कर रहे हैं जो पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए प्रदान नहीं करते हैं।उन्हें नियमित वेतन भी नहीं दिया जाता और उन्हें कमीशन के आधार पर भुगतान किया जाता था।इसलिए यह 1993 के नियमों के नियम 14 (v) को लागू करके प्रस्तुत किया जाता है, आयोग विक्रेताओं के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवा जो अनुबंध के तहत प्रदान की जाती हैं और जो उनके अवशोषण से पहले पेंशन लाभ प्रदान करने का प्रावधान नहीं करती हैं, उन्हें पेंशन लाभों के लिए नहीं गिना जा सकता है, अन्यथा यह 1993 के नियमों के नियम 14 (v) से प्रभावित होगा और/या इसके विपरीत होगा।

ई.

च

3.11 यह प्रस्तुत किया जाता है कि जहां तक नियम 14 (xiv) का संबंध है, "पुष्टि" अभिव्यक्ति किसी भी तरह से संदेह से परे इंगित करती है कि उक्त उप-नियम केवल उन मामलों में लागू होता है जहां एक मूल पद था जिसमें एक संविदात्मक कर्मचारी की पुष्टि बाद के चरण में की गई थी।हालाँकि, यह प्रस्तुत किया जाता है कि जहाँ तक आयोग के विक्रेताओं का संबंध है, ऐसा नहीं है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि नियम 14 (v) और नियम 24 की सामंजस्यपूर्ण व्याख्या पर यह स्पष्ट हो जाता है कि रोजगार की अवधि

जी.

एच.

कमीशन विक्रेता पेंशन लाभों के लिए सेवा का गठन नहीं करेंगे।यह प्रस्तुत किया जाता है कि न्यायाधिकरणों या उच्च न्यायालयों द्वारा पारित किसी भी निर्णय में उपरोक्त नियमों, अर्थात् नियम 14 (v) और 14 (xiv) पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं किया गया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि आयोग विक्रेताओं और रेलवे के बीच संविदात्मक शर्तों में विशेष रूप से पेंशन की किसी भी पात्रता का उल्लेख नहीं किया गया है।3.12 यह प्रस्तुत किया जाता है कि आकस्मिक श्रमिकों और कमीशन विक्रेताओं के बीच उपरोक्त मौलिक अंतर जो नियुक्ति के तरीके, काम की प्रकृति, सेवा की शर्तों, लागू कानून, अनुशासनात्मक कार्यवाही आदि से संबंधित हैं, यह दर्शाते हैं कि दोनों के बीच कोई समानता नहीं हो सकती है।

ग

3.13.सुश्री माधवी दीवान, विद्वान ए. एस. जी. द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है कि यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि आयोग के कुछ विक्रेताओं ने समूह 'डी' पदों के बजाय समूह 'सी' पदों में शामिल होने पर जोर दिया।यहां तक कि ये व्यक्ति विशेष रूप से उत्तरदाताओं सहित आकस्मिक श्रमिकों के साथ चयनात्मक समानता की मांग कर रहे हैं और जब यह उनकी सुविधा के अनुकूल हो।विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के अनुसार, ऐसे आयोग विक्रेताओं को समूह 'सी' पद प्रदान किए गए थे।इस तरह का अवशोषण अधिकार का मामला नहीं था, बल्कि उन्हें दी गई रियायत थी जिसका उपयोग उन लाभों को प्राप्त करने के लिए एक मंच के रूप में नहीं किया जा सकता था, जिनका उन्हें कभी विस्तार करने का इरादा नहीं था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह समान रूप से स्थित आयोग विक्रेताओं से संबंधित एक अन्य मामले में सीएटी दिल्ली के दिनांक 12.02.2016 के आदेश का सटीक आधार था, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि आयोग के विक्रेताओं को उच्च न्यायालय के दिनांक 05.11.2012 के आदेश के अनुसार संभावित रूप से अवशोषित किया गया था, वे पिछली सेवा पर विचार करने के हकदार नहीं थे क्योंकि इस तरह की राहत की मांग करना उच्च न्यायालय के आदेश की समीक्षा की मांग करने के बराबर है, जिसमें उन्हें अवशोषित करने का निर्देश दिया गया था।3.14 सुश्री माधवी दीवान, विद्वान ए. एस. जी. द्वारा यह

जोरदार रूप से प्रस्तुत किया गया है कि रेलवे के खिलाफ उच्च न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के किसी भी फैसले में, आकस्मिक श्रमिकों और कमीशन विक्रेताओं के बीच उपरोक्त अंतर और असमान लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं करने पर कानून पर विचार नहीं किया गया है।सुश्री माधवी दीवान, विद्वान एएसजी ने हरियाणा के मामलों में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया है।

डी.

ई.

च

जी.

राज्य विद्युत बोर्ड बनाम गुलशन लाल**, (2009) 12** एस**.** सी**.** सी**. 331;** उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड बनाम। अयोध्या प्रसाद मिश्रा**, (2008) 10** एस**.** सी**.** सी**. 139;** और भारत संघ बनाम मुरलीधरा मेनन**, (2009) 9**

एस**.** सी**.** सी**. 304** उनके इस निवेदन के समर्थन में कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णयों में देखा और अभिनिर्धारित किया गया है कि असमानों को समान नहीं माना जा सकता है।

एच.

1149

भारत संघ और अन्य बनाम मुन्शी राम [एम. आर. शाह, जे.] ए.

क.

3.15 अब जहाँ तक इस न्यायालय द्वारा पहले के अवसरों पर विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज करने पर भरोसा किया गया है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा पहले के अवसरों पर पारित बर्खास्तगी के आदेश या तो देरी पर हैं या किसी भी स्थिति में संक्षिप्त बर्खास्तगी हैं।ये तर्कपूर्ण आदेश नहीं हैं जो संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत पूर्ववर्ती के समान हैं। इस संबंध में, निर्णय पर निर्भरता रखी गई है

भारत संघ बनाम एम. वी. मोहनन नायर, (2020) के मामले में यह न्यायालय

5 एस**.** सी**.** सी**. 421 (**पैरा **48** और **49)**।

3.16 अब जहाँ तक उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में कहा गया है कि जहां तक दक्षिण रेलवे और मध्य रेलवे का संबंध है, कुछ मामलों में आदेश अंतिम हो गए हैं, यह प्रस्तुत किया जाता है कि केवल इसलिए कि कुछ मामलों में आदेश अंतिम हो गए हैं, वर्तमान मामले में समानता की मांग करने का कोई आधार नहीं है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी अवैधता को केवल इसलिए बढ़ाया या कायम नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसे अन्य मामलों में माफ कर दिया गया है या किया गया है। प्रत्यर्थियों के लिए यह खुला नहीं है कि वे न्यायाधिकरणों द्वारा निर्धारित और उच्च न्यायालयों द्वारा बरकरार रखे गए कानून में गलत स्थिति को बनाए रखने की मांग करके गलत समानता की मांग करें।यह प्रस्तुत किया जाता है कि नकारात्मक समानता का कोई अधिकार नहीं है।गुलशन लाल (ऊपर) (पैरा 31 से 35 और 43 से 47) के मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा रखा गया है।रिलायंस को भी इस मामले में इस अदालत के फैसले पर रखा गया है

ग

डी.

ओडिशा राज्य बनाम अनूप कुमार सेनापति, (2019) 19 एस. सी. सी 626

(पैरा **39)**।

ई.

3.17 सुश्री माधवी दीवान, विद्वान ए. एस. जी. ने आगे कहा है कि यदि उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित फैसले और आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, तो रेलवे पर भारी वित्तीय दायित्व होगा।भारी वित्तीय बोझ पर, सुश्री माधवी दीवान, विद्वान ए. एस. जी. ने हमें आई. ए. सं. 137388/2021 में प्रासंगिक पैराग्राफ पर ले जाया है, जो नीचे दिए गए हैंः

च

वित्तीय प्रभाव

15. यदि कमीशन विक्रेता/वाहक के रूप में दी गई पिछली सेवा के 50 प्रतिशत को पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए योग्यता सेवा की गणना के लिए गिना जाता है, तो भारी वित्तीय बोझ सरकारी खजाने के कंधों पर पड़ेगा।

जी.

16. अकेले दिल्ली संभाग के लिए, जहां वर्तमान में केवल 57 कमीशन विक्रेता/वाहक हैं, वित्तीय बोझ लगभग 10 करोड़ रुपये से अधिक होगा।उदाहरण के लिए एक श्री ओम प्रकाश (एसएलपी (सी) डायरी संख्या 27616/2020 में प्रतिवादी पक्ष) को 17.02.1977 पर कमीशन के आधार पर आयोग विक्रेता के रूप में नियुक्त किया गया था।

एच.

जन्म तिथि 12.01.1956 है और 27.07.2015 पर रेलवे में अवशोषित की जाती है।जब वे 7 वें सी. पी. सी. के स्तर 1 में मूल वेतन 18000 प्राप्त कर रहे थे, तब उन्हें 31.01.2016 पर सेवानिवृत्त किया गया था।

विवादित आदेश के अनुसार, वर्तमान एस. एल. पी. में आरोपित निर्णय और आदेश के अनुपालन में गणना किए जाने पर 17.02.1977 से 26.07.2015 तक की अवधि का 50 प्रतिशत 19 वर्ष 02 महीने और 19 दिनों में आता है। अतः कुल अर्हता सेवा 19 वर्ष 8 महीने और 23 दिन की होगी।उनकी कुल पेंशन रु। 9000/- प्रति माह स्वीकार्य डीए के साथ और रु। 5000/- सेवानिवृत्त कर्मचारी की मृत्यु के बाद प्रति माह पारिवारिक पेंशन।इसके अलावा, नियमित सेवा में संलग्न व्यक्ति, जो अपने अवशोषण के बाद 10 साल की सेवा पूरी किए बिना ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वे भी अब पेंशन लाभों के लिए पात्र हो जाएंगे, जिससे सरकारी खजाने पर भारी मौद्रिक खर्च होगा।इसलिए यह स्पष्ट है कि एक कर्मचारी जिसने अवशोषण के बाद केवल 6 महीने की सेवा प्रदान की है, उसे रु। 1,76,940-एकमुश्त और रु। 9, 000/- प्रति माह कम से कम 15 वर्षों के लिए पेंशन के रूप में (सेवानिवृत्त व्यक्ति के जीवन काल को 75 वर्ष मानते हुए)।इस चित्रण के अनुसार, महँगाई राहत को छोड़कर औसतन 20,000 का भुगतान एक ऐसे कर्मचारी को किया जाता है जिसने अवशोषण के बाद केवल लगभग 6 महीने की सेवा प्रदान की हो।

ग

डी.

17. दक्षिण रेलवे में ही, इस माननीय न्यायालय द्वारा 2004 तक जारी निर्देश के आधार पर 1265 कमीशन विक्रेताओं/वाहकों को नियमित किया गया है।आयोग के विक्रेता/वाहक, जो नियमित सेवा में शामिल होने के बाद भी सेवा में हैं, यदि 50 प्रतिशत पूर्व अवशोषण सेवा का लाभ दिया जाता है, तो वे एम. ए. सी. पी. लाभों के हकदार बन जाएंगे, जिसके परिणामस्वरूप पेंशन और संबद्ध लाभ भी प्राप्त होंगे।

ई.

च

यह वित्तीय प्रभाव बहुत बड़ा होगा क्योंकि यह देश भर में भारतीय रेलवे के सभी क्षेत्रों में ऐसे कमीशन विक्रेताओं/वाहकों पर लागू होगा।ऐसे 1000 से अधिक कमीशन विक्रेता/वाहक अवशोषण योजना के अंतर्गत आते हैं, जिनमें वे लोग शामिल नहीं हैं जो 10 साल की न्यूनतम योग्यता सेवा पूरी किए बिना ही सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

जी.

18. आयोग के विक्रेताओं/वाहकों की क्षेत्रवार स्थिति, पिछली सेवा के 50 प्रतिशत की गणना से संबंधित मुद्दों से जुड़े मामलों (लंबित और निपटाए गए) की संख्या और इसके वित्तीय निहितार्थ नीचे दिए जा रहे हैंः- ए.

एच.

1151

भारत संघ और अन्य बनाम मुन्शी राम [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

ग

डी.

3.18 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपीलों को दोहराते हुए और इस बात पर जोर देते हुए अनुमति दी जाए कि आयोग के विक्रेता आकस्मिक श्रमिकों के साथ व्यवहार की समानता की मांग करने के हकदार नहीं हैं, जहां तक पेंशन लाभों के अनुदान के लिए अवशोषण से पहले उनकी पिछली सेवा को गिनने का संबंध है।

ई.

4. इन सभी अपीलों का संबंधित कर्मचारियों-आयोग विक्रेताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संजय पारिख ने विरोध किया है।

च

4.1 संबंधित आयोग विक्रेताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संजय पारिख ने कहा है कि इस मामले में नियोक्ता रेल मंत्रालय के तहत रेलवे बोर्ड है।रेलवे में 16 जोन और 68 डिवीजन हैं।एक ही नियोक्ता-रेलवे बोर्ड के अंतर्गत आने वाले विभिन्न क्षेत्रों/प्रभागों में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ भी इसी तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए।कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता है, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करेगा।

जी.

4.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता-भारत संघ-रेलवे ने वही तर्क दोहराए हैं, जो ए थे

एच.

1153

भारत संघ और अन्य बनाम मुन्शी राम [एम. आर. शाह, जे.] ए.

इससे पहले विभिन्न न्यायाधिकरणों, उच्च न्यायालयों और इस न्यायालय के समक्ष उठाए गए और जिन्हें खारिज कर दिया गया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए लंबित मुकदमों में हर बार एक ही तर्क को उठाना और दोहराना कानून में उचित और अनुज्ञेय नहीं है, जब इसे इस न्यायालय तक अंतिमता प्राप्त करने के बाद एक मौन दिया गया है।

4.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि संबंधित उत्तरदाताओं को सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद गैर-सांविधिक कैंटीन के आधार पर दिल्ली में 1970-1989 के बीच अलग-अलग तिथियों पर आयोग विक्रेताओं के रूप में भर्ती किया गया था।

4.4 रेलवे बोर्ड से पहले के डी. ओ. पत्र दिनांक 1 का उल्लेख करते हुए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि स्थायी क्रम में अवशोषण के लिए मुख्य अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न विभागीय खानपान इकाइयों में धारकों और विक्रेताओं की स्थायी रिक्तियों में उनके अवशोषण के लिए आयोग के धारकों और विक्रेताओं के नाम उनकी सेवा की अवधि के क्रम में पंजीकृत किए जाने चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके अलावा, दिनांकित डी. ओ. पत्र 16.02.1974 में यह भी उल्लेख किया गया था कि यदि अन्य चतुर्थ श्रेणी श्रेणियों में नियमित अवशोषण के लिए आकस्मिक मजदूर/विकल्प पर विचार किया जाना है, तो आयोग के धारकों/विक्रेताओं पर भी उनके साथ विचार किया जाना चाहिए।

ग

डी.

4.5 यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि पैराग्राफ 3 में 13.07.1976 दिनांकित पत्र द्वारा अवशोषण में देरी हुई थी, इसलिए यह निर्देश दिया गया था कि नियमित रिक्तियों में आयोग के धारकों/विक्रेताओं को उत्तरोत्तर अवशोषित करने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए।यह प्रस्तुत किया जाता है कि पैराग्राफ 3 में "नियमितकरण" और "अवशोषण" दोनों अभिव्यक्तियों का उपयोग किया गया है।यह आग्रह किया जाता है कि इसलिए रेलवे बोर्ड द्वारा स्थायी रिक्तियों पर आयोग धारकों/विक्रेताओं को रेलवे कर्मचारियों का दर्जा देने का निर्णय लिया गया था।

ई.

च

4.6 यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब उपरोक्त डी. ओ. पत्र दिनांक 16.02.1974 को 13.07.1976 के पत्र के साथ पढ़ा गया, तो संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय के समक्ष 1982 की एक रिट याचिका (सी) No.6804 दायर की गई थी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त रिट याचिका को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 1 के निर्णय और आदेश के माध्यम से अनुमति दी गई थी और यह निर्देश दिया गया था कि जब तक सभी धारकों और विक्रेताओं को दिनांक 2 के डी. ओ. पत्र के अनुसार अवशोषित नहीं किया जाता है, तब तक रेलवे किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य स्रोत से रेलवे सेवा में स्थायी आधार पर वाहक या विक्रेता के रूप में नियुक्त नहीं कर सकता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय ने आशा व्यक्त की है कि वाहक/विक्रेताओं को अवशोषित करने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए जाएंगे।यह प्रस्तुत किया जाता है कि आदेश का अर्थ और उद्देश्य यह था कि सभी रिक्तियां

जी.

एच.

रेलवे में धारकों/विक्रेताओं की संख्या आयोग धारकों/विक्रेताओं के अवशोषण के लिए आवंटित की जाएगी और जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक किसी अन्य स्रोत से स्थायी आधार पर कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी।

4.7 यह प्रस्तुत किया जाता है कि टी. एल. माधवन (उपरोक्त) के मामले में यह मुद्दा फिर से इस न्यायालय के समक्ष आया।कि इस न्यायालय ने 1982 की रिट याचिका (सी) No.6804 में पहले के आदेश में जो कहा गया था, उसे फिर से दोहराया।कि पैराग्राफ 3 में, यह भी स्पष्ट किया गया था कि "रेलवे कैटरिंग सर्विस" में इस तरह से शामिल विक्रेता और वाहक अपने अवशोषण की तारीख से वेतन के हकदार होंगे।

4.8 यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि, अवशोषण की प्रक्रिया में अत्यधिक देरी हुई थी और इसलिए, सदस्य कर्मचारी-रेलवे बोर्ड ने उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक को आयोग विक्रेताओं/वाहकों के अवशोषण में अत्यधिक देरी के बारे में एक पत्र लिखा था।इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की ओर भी उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक का ध्यान आकर्षित किया गया।बोर्ड ने

20.08.1996 और 06.11.2000 दिनांकित पत्रों का भी उल्लेख किया जो अवशोषण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए लिखे गए थे।दिनांक 1 के पत्र में, रेलवे बोर्ड ने सभी महाप्रबंधकों को "वाणिज्यिक विभाग के साथ-साथ अन्य विभागों में" आयोग विक्रेताओं/वाहकों को शामिल करने के लिए लिखा था, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि क्षेत्रीय रेलवे में खानपान विभाग को रोक दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप उसमें बहुत कम रिक्तियां पैदा हुईं।

ग

डी.

ई.

4.9 कि रेलवे बोर्ड ने 02.08.2005 दिनांकित एक और पत्र जारी किया, जिसके तहत यह निर्णय लिया गया कि "सभी आयोग विक्रेताओं/वाहकों को शामिल किया जाएगा, जो केवल पढ़ने और लिखने के रूप में शिक्षा योग्यता के साथ 01.04.2005 पर 59 वर्ष की आयु के साथ चिकित्सा योग्यता के अधीन होंगे।"यह प्रस्तुत किया जाता है कि आयोग धारकों/विक्रेताओं के अवशोषण में देरी के कारण, रेलवे बोर्ड ने प्रावधान किया है कि भले ही आयोग धारकों/विक्रेताओं की आयु 59 वर्ष हो गई हो, लेकिन वे सेवानिवृत्त नहीं हुए हों, उन्हें शामिल किया जाएगा।

च

4.10 यह तर्क दिया जाता है कि उपरोक्त तथ्यों और रेलवे बोर्ड और इस न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों से यह पता चलता है कि आयोग विक्रेताओं/वाहकों को उस समय प्रचलित तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रेलवे सेवाओं में लिया गया था और ये आयोग वाहक/विक्रेता रेलवे ए के विक्रेताओं/वाहकों द्वारा निर्वहन किए गए कर्तव्यों के समान कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे।

जी.

एच.

1155

भारत संघ और अन्य बनाम मुन्शी राम [एम. आर. शाह, जे.] ए.

कैंटीन।यह प्रस्तुत किया जाता है कि रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों/प्रभागों द्वारा अवशोषण में देरी इस न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन था।4.11 कि रेलवे बोर्ड के दिनांकित 13.12.1976 आदेश को लागू नहीं करने में उत्तर रेलवे की देरी और लापरवाही और इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को देखते हुए, आयोग के विक्रेताओं/वाहकों द्वारा कई रिट याचिकाएं दायर की गईं, जिन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 05.11.2012 में गुरदास राम और अन्य बनाम UOI और अन्य inW.P में दिए गए निर्णय से देखा जा सकता है। (ग) 1998 का No.5175 और 2010 का CM No.14513।यह प्रस्तुत किया जाता है कि गुरदास राम और अन्य (ऊपर) के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार उत्तरदाताओं को कक्षा III में शामिल किया गया था।

ग

4.12 यह प्रस्तुत किया जाता है कि गुरदास राम और अन्य (उपरोक्त) के मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस श्रेणी के रिक्त पदों के खिलाफ 'समूह सी' पदों में 59 वर्ष की आयु को पार नहीं करने वाले योग्य याचिकाकर्ताओं को शामिल करने के लिए प्रतिवादियों (उत्तर रेलवे) को एक आदेश जारी किया, जब ऐसे योग्य याचिकाकर्ता औपचारिक रूप से 'समूह सी' पदों में अवशोषण की मांग करने के लिए आवेदन करते हैं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि का निर्णय

डी.

गुरदास राम और अन्य (ऊपर) में विद्वान एकल न्यायाधीश को स्वीकार किया गया था

उत्तर रेलवे द्वारा और नियुक्तियां उत्तरदाताओं के साथ-साथ अन्य लोगों को Rs.5200-20200 + GP 1800/- के ग्रेड वेतन में "कैटरिंग वेटर" के पद पर दी गई थीं।

ई.

4.13 इस मुद्दे पर कि क्या आयोग के विक्रेता/वाहक रेलवे में स्थायी स्वीकृत पद पर अपने विलय के बाद पेंशन के हकदार हैं, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संजय पारिख ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दी हैं:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

(i) प्रारंभ में, ये आयोग विक्रेता/वाहक अनुबंध के आधार पर काम कर रहे थे और उसके बाद उन्हें अवशोषित कर लिया गया और अलग-अलग तिथियों पर स्थायी रेलवे कर्मचारी बन गए।रेलवे सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के उस नियम 14 में प्रावधान है कि (i) से (xiv) तक उल्लिखित क्षमताओं में रोजगार की अवधि पेंशन लाभों के लिए सेवा नहीं होगी।नियम 14 के उस खंड (xiv) में एक अपवाद है, अर्थात्, "जब अनुबंध के आधार पर रोजगार की पुष्टि की जाती है"।पुष्टि का अर्थ रेलवे सेवा में अवशोषण या उन्हें रेलवे सेवा में स्थायी रूप से लेना या अवशोषण/नियुक्ति आदि द्वारा रेलवे सेवा में पुष्टि करना होगा। यह है।

च

जी.

एच.

प्रस्तुत किया कि नामकरण प्रासंगिक नहीं हो सकता है।कि उत्तरदाताओं का मामला उक्त प्रावधान द्वारा कवर किया गया है क्योंकि उनकी अनुबंध अवधि के बाद रेलवे सेवाओं में उनकी पुष्टि/अवशोषण किया गया था।वह नियम 24 स्थिति को और स्पष्ट करता है क्योंकि इसमें यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति शुरू में रेलवे द्वारा किसी अनुबंध (कमीशन विक्रेता/वाहक के रूप में) पर नियुक्त किया जाता है और बाद में वर्तमान मामले में उसी या किसी अन्य पद पर एक महत्वपूर्ण क्षमता (कैटरिंग वेटर के रूप में) में नियुक्त किया जाता है, तो ऐसी अनुबंध अवधि की सेवा को रेलवे में किसी भी अन्य स्थायी सेवा की तरह माना जाएगा और पेंशन लाभों की गणना के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

ग

((ii) उक्त नियमों पर केरल उच्च न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों द्वारा कई निर्णयों में विचार किया गया था और रेलवे विभागों द्वारा दायर एस. एल. पी. एस. को गुण-दोष के आधार पर भी खारिज कर दिया गया था।इसलिए, विभिन्न न्यायाधिकरणों/उच्च न्यायालयों ने पेंशन के अनुदान के लिए अवशोषण से पहले अनुबंध के आधार पर प्रदान की गई सेवा का 50 प्रतिशत स्वीकार कर लिया है।कि उक्त मुद्दे ने इस कानूनी आधार पर अंतिमता प्राप्त कर ली है और रेलवे ने इसे लागू किया है।

डी.

(iii) मामले में इस अदालत के फैसले पर रिलायंस को रखा गया है।

राकेश कुमार का मामला (ऊपर)।यह प्रस्तुत किया जाता है कि

ई.

उक्त निर्णय में, इस माननीय न्यायालय ने आकस्मिक श्रमिकों को पेंशन देने पर विचार किया था जिन्हें अस्थायी दर्जा दिया गया था और बाद में योग्यता सेवा निर्धारित करने और पेंशन देने के लिए नियमित किया गया था।पैराग्राफ 53 में रिलायंस को अंतिम

निष्कर्ष पर रखा गया है।(iv) इस प्रकार, उक्त निर्णय के अनुसार, एक आकस्मिक कर्मचारी अस्थायी स्थिति प्राप्त करने से पहले कारण सेवा का 50 प्रतिशत लेने का हकदार है।हालाँकि, रेलवे बोर्ड एक विपरीत स्थिति ले रहा है और वे इस बात पर जोर दे रहे हैं कि "अस्थायी स्थिति सेवा का केवल 50 प्रतिशत नियमित होने के बाद पेंशन सेवा के लिए गिना जाएगा" और अस्थायी स्थिति से पहले की अवधि को पेंशन लाभों के लिए नहीं गिना जाएगा।

च

जी.

(v) कि पश्चिमी रेलवे, पूर्वी ए के संबंध में संबंधित उच्च न्यायालयों/न्यायाधिकरणों द्वारा पारित विभिन्न आदेश

एच.

1157

भारत संघ और अन्य बनाम मुन्शी राम [एम. आर. शाह, जे.] ए.

रेलवे, दक्षिण रेलवे का विचार है कि आयोग विक्रेता/वाहक पेंशन लाभ के उद्देश्य से अवधि का 50 प्रतिशत गिनने के हकदार हैं।

4.14 यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए रेलवे के केवल एक क्षेत्र, उत्तर रेलवे में पेंशन लाभ के उद्देश्य से कमीशन विक्रेताओं/वाहकों के रूप में प्रदान की गई पिछली सेवा के 50 प्रतिशत के लाभ से इनकार करना भेदभावपूर्ण और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होगा।

4.15 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि देखने के निर्णय के सिद्धांत पर भी, उत्तरदाता पेंशन लाभों के उद्देश्य से कमीशन विक्रेताओं/धारकों के रूप में प्रदान की गई अपनी 50 प्रतिशत सेवा/अवधि की गणना के लाभ के हकदार हैं।रिलायंस को निर्णय पर रखा गया है

ग

वामन राव और अन्य में यह न्यायालय। बनाम भारत संघ और अन्य, (1981) 2 एस. सी. सी. 362 (पैरा 40); नरिंदर सिंह और अन्य। बनाम पंजाब राज्य और अन्न, (2014) 6 एस. सी. सी. 466 (पैरा 22)।

4.16 अब, जहाँ तक वित्तीय दायित्व/निहितार्थ पर रेलवे की ओर से प्रस्तुत करने का संबंध है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त याचिका कानून के शासन के अलावा संविधान के अनुच्छेद 14,16 और 21 का उल्लंघन करेगी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वित्तीय निहितार्थ का तर्क जो मुख्य रूप से आयोग के विक्रेताओं/वाहक अब कैटरिंग वेटरों के साथ समान व्यवहार से इनकार करने के लिए उठाया गया है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह पूरी तरह से अस्थिर है।

डी.

ई.

4.17 यह प्रस्तुत किया जाता है कि अखिल भारतीय न्यायाधीशों के मामले में '

एसोसिएशन और ओआरएस। बनाम भारत संघ और अन्य **(1993) 4** एस**.** सी**.** सी**.**

288 (पैरा 16), इस न्यायालय ने न्यायिक अधिकारियों की सेवा शर्तों में एकरूपता पर विचार किया था और भारत संघ द्वारा उठाए गए वित्तीय बोझ के सवाल को गलत धारणा के रूप में खारिज कर दिया गया था।उक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने कहा है कि यदि किसी निर्णय के वित्तीय निहितार्थ हैं, तो सरकार अपने कोष को ढीला करने के लिए बाध्य है।

च

4.18 यह प्रस्तुत किया जाता है कि अशोक कुमार ठाकुर के मामले में

बनाम भारत संघ और अन्य, (2008) 6 एस. सी. सी. 1, यह मनाया जाता है और

जी.

इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि राज्य वित्तीय अक्षमताओं के आधार पर संवैधानिक दायित्व से बच नहीं सकता है।

4.19 विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संजय पारिख द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वान ए. एस. जी. द्वारा उठाई गई नकारात्मक समानता की अवधारणा वर्तमान मामले में लागू नहीं होगी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि निर्णय

अनूप कुमार सेनापति (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय ने इस पर भरोसा किया

एच.

अपीलार्थियों द्वारा दिया गया आदेश वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले के तथ्य स्पष्ट रूप से रिक्त पदों पर अवशोषित होने के अधिकार को स्थापित करते हैं और उच्च न्यायालयों ने नियम, 1993 के प्रावधानों के आधार पर राहत दी है, जिसकी इस न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकार/रियायतें और निर्णयों की श्रृंखला की स्वीकृति है कि आयोग के विक्रेता/वाहक पेंशन के उद्देश्य से अपनी सेवा का 50 प्रतिशत दावा करने के हकदार हैं।कि यह निर्णय गलत होने या किसी अवैधता या धोखाधड़ी का मामला नहीं है या यह ऐसा मामला भी नहीं है जहां राहत/लाभ अनजाने में या गलती से दिया गया हो।यह एक ऐसा मामला है जहां रेलवे बोर्ड के तहत विभिन्न क्षेत्र और प्रभाग पेंशन दे रहे हैं, जबकि संविधान के अनुच्छेद 14,16 और 21 का उल्लंघन करते हुए समान रूप से स्थित अन्य व्यक्तियों को इससे वंचित कर दिया गया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, वर्तमान मामला स्पष्ट रूप से जी. सी. के मामले में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा कवर किया गया है।

ग

घोष और ओआरएस। बनाम भारत संघ और अन्य**, 1991** पूरक **(2)** एस**.** सी**.** सी**. 497**।

डी.

4.20 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, वर्तमान अपीलों को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है।

5. हमने भारत संघ और अन्य की ओर से पेश होने वाले भारत के विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और प्रत्यर्थियों की ओर से पेश होने वाले विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संजय पारिख को सुना है।शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि वर्तमान मामले में मुद्दा उत्तर रेलवे में काम करने वाले कमीशन विक्रेताओं के संबंध में है और मुद्दा यह है कि क्या नियमित सेवा में शामिल किए गए कमीशन विक्रेता अपने अवशोषण से पहले, पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए योग्यता सेवा के रूप में कमीशन विक्रेताओं के रूप में सेवा की अवधि के 50 प्रतिशत की गणना करने के हकदार हैं, उन आकस्मिक श्रमिकों के बराबर जिनकी सेवाओं को भारतीय रेलवे प्रतिष्ठान नियमावली, खंड 2005 के नियम 2005 के आधार पर नियमित किया गया था। II, 1991 (आई. आर. ई. एम.) आर/डब्ल्यू रेलवे सेवा (पेंशन) नियम, 1993 का नियम 31।

ई.

च

शुरुआत में, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि जहां तक पश्चिमी रेलवे, पूर्वी रेलवे, दक्षिणी रेलवे और दक्षिण-पूर्वी रेलवे में काम करने वाले आयोग विक्रेताओं का संबंध है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों और उच्च न्यायालयों द्वारा पारित विभिन्न

आदेशों के अनुसार, जिनकी इस न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है, यह मुद्दा भारत संघ/रेलवे के खिलाफ है, जिसका विवरण नीचे दिया गया हैः

जी.

एच.

1159

भारत संघ और अन्य बनाम मुन्शी राम [एम. आर. शाह, जे.] ए.

क.

i) ओ. ए. सं. <आई. डी. 2 में एक विस्तृत निर्णय और आदेश द्वारा, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने पश्चिम रेलवे में काम करने वाले आयोग विक्रेताओं/धारकों की ओर से रेलवे के कर्मचारियों के संघ/ट्रेड यूनियन द्वारा दायर उक्त ओ. ए. को अनुमति दी, जो ओ. ए. सं. <आई. डी. 1 में सी. ए. टी. द्वारा पारित पहले के आदेश और रिट याचिका संख्या 499/2002 में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर भरोसा करता है और यह अभिनिर्धारित करता है कि आयोग विक्रेता/वाहक रेलवे के नियमित कर्मचारियों के रूप में उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के साथ-साथ पेंशन के उद्देश्य से उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के 50 प्रतिशत के हकदार हैं।ओ. ए. सं. 538/1996 में न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय और आदेश की पुष्टि बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं. 190/2006 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 21.04.2008 द्वारा की गई।उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 का उक्त निर्णय और आदेश इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका का विषय था।इस न्यायालय ने शुरू में विशेष अनुमति याचिका में नोटिस जारी किया और उसके बाद एसएलपी (सिविल) संख्या में पारित आदेश द्वारा विशेष अनुमति याचिका को देरी के साथ-साथ गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिया।

ग

डी.

ई.

ii) पूर्वी रेलवे में काम करने वाले आयोग विक्रेताओं/धारकों के संबंध में, कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा रेलवे के खिलाफ एक निर्णय लिया गया था, जो इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका का विषय था, विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या।पूर्वी रेलवे के मामले में, कैट, कलकत्ता पीठ ने आयोग के विक्रेताओं/धारकों के पक्ष में निर्णय दिया।रेलवे द्वारा दायर रिट याचिका को कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसके खिलाफ उपरोक्त विशेष अनुमति याचिका इस न्यायालय के समक्ष दायर की गई, जिसे दिनांक 14.03.2011 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

च

जी.

iii) दक्षिणी रेलवे में काम करने वाले आयोग विक्रेताओं/धारकों के संबंध में, एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय ने समान रूप से स्थित आयोग विक्रेताओं/धारकों के पक्ष में निर्णय दिया।दक्षिणी रेलवे के मामले में, सीएटी, एर्नाकुलम पीठ ने ओ. ए. नं.

एच.

1160

440/2003 आयोग के विक्रेताओं/धारकों के पक्ष में निर्णय लिया गया।रेलवे बोर्ड और अन्य लोगों ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की जिसे रिट याचिका संख्या 15756/2006 कहा जाता है।उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए निर्देश दिया कि अनुबंध के आधार पर प्रदान की जाने वाली 50 प्रतिशत सेवाओं को पेंशन के लिए गिना जाए।केरल उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ, रेलवे ने इस न्यायालय के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका दायर की, जिसे देरी के आधार पर खारिज कर दिया गया।

ए। एक अन्य निर्णय द्वारा, केरल उच्च न्यायालय द्वारा इसी तरह का आदेश पारित किया गया था, जिसमें कैट, एर्नाकुलम पीठ द्वारा पारित निर्णय और आदेश की पुष्टि की गई थी, जो आयोग के विक्रेताओं/धारकों के पक्ष में निर्णय लिया गया था।उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय और आदेश को अंतिम रूप मिल गया है।

ग

बी। कैट, एर्नाकुलम पीठ द्वारा इसी तरह के निर्णय और आदेश पारित किए गए थे जो आयोग के विक्रेताओं/धारकों के पक्ष में थे, जिन्हें अंतिम रूप मिल गया है।

डी.

iv) दक्षिण-पूर्वी रेलवे में काम करने वाले आयोग विक्रेताओं/धारकों के संबंध में, कैट, कलकत्ता पीठ ने ओ. ए. संख्या 758/2007 में दिनांकित 06.12.2010 आदेश के माध्यम से आयोग विक्रेताओं/धारकों के दावे को अस्वीकार कर दिया। हालाँकि, रिट याचिका संख्या 28/2011 में दिनांकित 30.08.2012 के एक विस्तृत निर्णय और आदेश द्वारा, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने माना कि आयोग के विक्रेता/वाहक अपने नियमितीकरण से पहले प्रदान की गई सेवाओं के 50 प्रतिशत को पेंशन लाभों के लिए गिनने के हकदार हैं।कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका को इस न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका संख्या 25019/2013 के रूप में खारिज कर दिया गया।

ई.

च

6. उपरोक्त से, यह देखा जा सकता है कि पश्चिमी रेलवे, पूर्वी रेलवे, दक्षिणी रेलवे और दक्षिण-पूर्वी रेलवे में काम करने वाले कमीशन विक्रेताओं/धारकों के संबंध में, वे अपने नियमितीकरण से पहले प्रदान की जाने वाली सेवाओं के 50 प्रतिशत के हकदार माने जाते हैं जिन्हें पेंशन लाभ के लिए गिना जाता है और उन सभी कमीशन विक्रेताओं/धारकों को ऐसे लाभ दिए जाते हैं।अब विवाद उत्तर रेलवे में काम करने वाले कमीशन विक्रेताओं/धारकों के संबंध में है।

जी.

एच.

1161

भारत संघ और अन्य बनाम मुन्शी राम [एम. आर. शाह, जे.] ए.

क.

7. इस बात में कोई संदेह नहीं है कि रेलवे में विभिन्न प्रभागों/क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारी एक ही नियोक्ता-रेलवे बोर्ड के अधीन हैं जो रेल मंत्रालय के अधीन है।रेलवे में 16 जोन और 68 डिवीजन हैं।इसलिए, एक ही नियोक्ता-विभिन्न क्षेत्रों/प्रभागों में काम करने वाले रेलवे बोर्ड के तहत काम करने वाले कर्मचारियों के साथ समान और समान व्यवहार किया जाना आवश्यक है और वे समान लाभों के हकदार हैं और समान व्यवहार के हकदार हैं।जैसा कि उत्तरदाताओं की ओर से उचित रूप से प्रस्तुत किया गया है, आपस में कोई भेदभाव नहीं हो सकता है।इन परिस्थितियों में, समानता के आधार पर, उत्तर रेलवे में काम करने वाले आयोग विक्रेता/वाहक समान लाभों के हकदार हैं जो विभिन्न क्षेत्रों/प्रभागों के तहत काम करने वाले सभी समान रूप से स्थित आयोग विक्रेताओं/धारकों के हकदार हैं।समान रूप से स्थित कर्मचारियों के संबंध में अलग-अलग मानदंड/मापदंड नहीं हो सकते हैं-विभिन्न क्षेत्रों/प्रभागों में काम करने वाले आयोग विक्रेता/वाहक, लेकिन एक ही नियोक्ता के तहत काम कर रहे हैं।

ग

8. रेलवे/यू. ओ. आई./रेलवे बोर्ड को वही दलीलें दोहराने की अनुमति नहीं दी जा सकती हैं जो विभिन्न न्यायाधिकरणों, उच्च न्यायालयों और इस न्यायालय के समक्ष भी उठाई गई थीं।इन परिस्थितियों में उत्तर रेलवे में काम करने वाले उत्तरदाता-आयोग विक्रेता/वाहक भी उन्हीं लाभों के हकदार होंगे, जिनके हकदार विभिन्न क्षेत्रों/प्रभागों में काम करने वाले अन्य आयोग विक्रेता/वाहक हैं।समान रूप से स्थित आयोग विक्रेताओं/धारकों के बीच भेदभाव नहीं हो सकता है।समान लाभों से इनकार करना भेदभाव के समान होगा और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होगा।

डी.

ई.

9. अब जहाँ तक अपीलकर्ताओं-यू. ओ. आई./रेलवे की ओर से यह निवेदन कि रेलवे पर भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यह मुद्दा पेंशन लाभों के संबंध में है।एक बार जब यह पाया जाता है कि उत्तर रेलवे में काम करने वाले उत्तरदाता-आयोग विक्रेता/वाहक भी समान लाभों के हकदार हैं जो विभिन्न क्षेत्रों/प्रभागों में काम करने वाले समान रूप से स्थित आयोग विक्रेताओं/धारकों को दिए जाते हैं और चूंकि उन्हें पहले से ही उनके नियमितीकरण से पहले प्रदान की गई उनकी सेवाओं के 50 प्रतिशत लाभ की गणना करके पेंशन लाभ का भुगतान किया जा रहा है, तो उत्तर रेलवे में काम करने वाले आयोग विक्रेताओं/धारकों को समान लाभों से इनकार करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि वे समान रूप से स्थित हैं।10. यहां तक कि अपीलार्थियों की ओर से प्रस्तुत नकारात्मक समानता की अवधारणा भी तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं होगी।

च

जी.

एच.

विशेष रूप से जब अपीलार्थियों के खिलाफ विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों की इस न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है और विशेष अनुमति याचिकाओं को देरी के साथ-साथ गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिया गया है।

11. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों के लिए और यहां तक कि टकटकी लगाने के सिद्धांत को लागू करते हुए, केवल उपरोक्त आधार पर, वर्तमान अपीलों को खारिज किया जाना चाहिए और तदनुसार खारिज कर दिया जाना चाहिए, यह मानते हुए कि उत्तर रेलवे में काम करने वाले उत्तरदाता-आयोग विक्रेता/वाहक अपनी नियमितता से पहले प्रदान की गई अपनी सेवाओं का 50 प्रतिशत पेंशन लाभों के लिए रेलवे बोर्ड के तहत काम करने वाले अन्य अधिकारियों/विक्रेताओं की तरह गणना करने के हकदार हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों/प्रभागों, अर्थात् पश्चिमी रेलवे, पूर्वी रेलवे, दक्षिणी रेलवे और दक्षिण-पूर्वी रेलवे में काम कर रहे हैं।

ग

12. इन सभी याचिकाओं को तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।खर्चे की बाबत कोई आदेश नहीं |

देविका गुजराल

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

डी.

(सहायकः महेंद्र यादव, एलसीआरए)

ई.

च

जी.

एच.